न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 65/2020 — दायर दिनांक–15.07.2020

झाना पुत्री सुवा जाति गुर्जर निवासी चेनगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

– आवेदिका

बनाम

1. नन्दू पत्नी सुवा
2. अर्जुन पुत्र हरनाथ
   जाति गुर्जर निवासी चैनगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।
3. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–अनावेदकगण

वकील वादी : – श्री जयपालसिंह
वकील प्रति० नं० :– एकपक्षीय

प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 29.06.2022

आवेदिका ने एक प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि आवेदिका ने उपरोक्त उनवान का वाद–पत्र श्रीमान्‌जी के यहां प्रस्तुत कर दिया है, जो बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पूरी सम्भावना है।

ग्राम चैनगढ़ पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में खाता नं. नया 56 पुराना 52 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 2.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 3.07 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.73 हैक्टर व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में भूमि खाता नं. नया 59 पुराना 152 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 5.04 हैक्टर स्थित है। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना–पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है।

उपरोक्त मद नं. 1 में दशाई गई खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि खाता सं. नया 59 ग्राम बारवा में आवेदिका का 1/72 हिस्सा व अनावेदिका नं. 2 का 1/72 हिस्सा व खाता नं. नया 56 ग्राम चैनगढ़ में आवेदिका का 1/12 हिस्सा व अनावेदिका नं. 2 का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा है। आवेदिका अनावेदिका नं. 2 की एकमात्र वारीस है। अनावेदिका नं. 2 की सेवा सुश्रुषा आवेदिका ही करती आ रही है। आवेदिका अनावेदिका नं. 2 नन्दू देवी की पुत्री है। आवेदिका नन्दू देवी को अपने ससुराल में पिछले 15 वर्षो से रख कर उसकी दवाई, इलाज, खाना पीना सेवा कर रही है। परन्तु अनावेदिका नन्दू देवी की मानसिक स्थिति सही नहीं होने के कारण अनावेदक नं. 1 बहला फुसलाकर अनावेदिका नं. 2 को अपने घर लाकर दिनांक 06.07.2020 को नवलगढ में उप पंजीयक कार्यालय में पेशकर के अनावेदिका नं. 2 के खाता नं. नया 59 में दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का हक त्याग अनावेदक नं. 1 अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया, जबकि अनावेदिका को अपने हिस्से की भूमि में न तो पैसे दिये तथा न ही अनावेदिका नं. 2 को भूमि के बेचान व हकत्याग के बारे में कोई किसी प्रकार की जानकारी दी गई जबकि [illegible] चला तो आवेदिका तुरन्त प्रभाव से नवलगढ आई तथा उप–पंजीयक कार्यालय नवलगढ में आकर [illegible] को उक्त भूमि का हकत्याग के बाबत् आपति दर्ज कराई परन्तु तहसीलदार ने आप[illegible] उक्त भूमि का हकत्याग तस्दीक कर दिया, कानून में साफ–साफ नियम है कि जिस[illegible] है तो उसे कोई लेन–देन व बेचान व हकत्याग के अधिकार नही है। जबकि हकत्याग द्वारा किसी भी [illegible] का ट्रांसफर करने [illegible] कानून नहीं है। इसलिये उक्त प्रार्थना–पत्र हकत्याग को शुन्यकरण करने [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश [illegible] आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:32 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

आवेदिका का मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदिका के पक्ष में है, अगर अनावेदक नं. 1 अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गया तो आवेदिका को इतना नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं होगी। उक्त कृषि भूमि में अनावेदकगण नं. 1, आवेदिका व अनावेदक नं. 2 के हिस्से के कब्जे, काश्त एंव उपयोग उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें तथा ना ही किसी प्रकार की सींव, डोल फोड़े तथा न ही कोई पेड़ काटे तथा न ही भूमि के किसी भी भू–भाग को विक्रय, रहन या किसी भी प्रकार से स्थानान्तरण नहीं करें। इसलिये अनावेदकगण नं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये उक्त प्रार्थना–पत्र श्रीमान्जी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है जिसके लिए अनावेदक नं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक है।

आवेदिका की कृषि श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिये उक्त प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व रजिस्ट्री शुन्यकरण श्रीमानजी को सुनने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अनुतोष चाहा है कि अनावेदकगण नं. 1 को इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि आवेदिका व अनावेदिका नं. 2 की संयुक्त कृषि भूमि जो कि पैरा नं. 2 में वर्णित ग्राम चैनगढ़ पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में खाता नं. नया 56 पुराना 52 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 2.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 3.07 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.73 हैक्टर व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में भूमि खाता नं. नया 59 पुराना 152 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 5.04 हैक्टर जिसमें आवेदिका व अनावेदकगण नं. 2 का भूमि खाता सं. 59 में 1/72, 1/72 हिस्सा व भूमि खाता सं. 56 में आवेदिका व अनावेदिकागण नं. 2 का 1/12, 1/12 हिस्सा शामलाती स्थित है जिसके लिए अनावेदकगण नं. 1 को विक्रय के लिये पाबन्द किया जावें तथा अनावेदक नं. 3 को आदेशित किया जावें कि उक्त हिस्से की भूमि का ना तो किसी को विक्रय पत्र तस्दीक करें तथा ना ही रहन आदि करें व ना ही उक्त भूमि का नामान्तरण किसी के नाम से दर्ज करें। मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक नम्बर 02 व 03 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक नम्बर 01 की ओर से वकील श्री महेश कुमार उपस्थित। अनावेदगण नम्बर 01 को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु न्यायालय हाजा द्वारा बार–बार अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अनावेदक नम्बर 01 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने की सूरत पर इनका जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

जवाब देही बंद होने के पश्चात बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजो एंव पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2075–2078 ग्राम चैनगढ व बारवा की सरहद में कृषि भूमि खाता सं. नया 59 ग्राम बारवा में आवेदिका का 1/72 हिस्सा व अनावेदिका नं. 2 का 1/72 हिस्सा व खाता नं. नया 56 ग्राम चैनगढ़ में आवेदिका का 1/12 हिस्सा व अनावेदिका नं. 2 का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा है। आवेदिका अनावेदिका नं. 2 की एकमात्र वारीस है। आवेदिका अनावेदिका नम्बर 02 नन्दू देवी की पुत्री है। यहां मुख्य बिन्दु अनावेदिका द्वारा निष्पादित करवाये गये हकत्याग को लेकर है। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 06.07.2020 का अवलोकन किया जावे तो अनावेदिका द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से 1/72 हिस्से की भूमि का अनावेदिका नम्बर 02 के पक्ष में हक त्याग पत्र निष्पादित किया गया है। यहां यह भी नही माना जा सकता है कि अनावेदिका नम्बर 01 को अनावेदि[illegible] 02 बहला फुसलाकर अपने हक मे हक त्याग करवा लिया हो जबकि हकत्याग के [illegible] अंकित किया गया है कि "यह हक त्याग उभय पक्षों को पढ़वाकर सुनवाया [illegible] स्वीकार किया गया है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में नही है चूंकि अनावेदिका नम्बर 01 ने अपने हक अधिकार के हिस्से की भूमि का हकत्याग निंष्पादित करवाया गया है। प्रार्थना पत्र [illegible] 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:32 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (न्या.) नवलगढ

हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– ग्राम चैनगढ़ पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में खाता नं. नया 56 पुराना 52 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 2.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 3.07 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.73 हैक्टर व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी की सरहद में भूमि खाता नं. नया 59 पुराना 152 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 5.04 हैक्टर स्थित है। उक्त कृषि भूमि खाता सं. नया 59 ग्राम बारवा में आवेदिका का 1/72 हिस्सा व अनावेदिका नं. 2 का 1/72 हिस्सा व खाता नं. नया 56 ग्राम चैनगढ़ में आवेदिका का 1/12 हिस्सा व अनावेदिका नं. 2 का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा है। अनावेदिका नम्बर 01 द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्सा 1/72 का रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 06.07.2020 को अनावेदिक नम्बर 02 को निष्पादित करवाया गया है। अनावेदिका नम्बर 01 को अपने हक अधिकार की भूमि का हकत्याग करने हेतु स्वतंत्र है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में होना नही पाया जाता है।
2. **सुविधा का संतुलन** :– बिन्दु संख्या 1 में विवादग्रस्त भूमि अनावेदक नम्बर 01 स्वयं ने रजिस्टर्ड हक त्याग करवाया जाने से प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष मे नही होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में नही पाया जाता है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के विरूद्ध पाये जाने आवेदक को कोई अपूरणीय क्षति प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नही होने पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनु (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:32 IST
Reason: SelfAttested